कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक प्रथम) भीलवाडा

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/शा0शि0 ग्रेड/सीभ /2013–16 दिनांक 29.3.2017 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर भर्ती परीक्षा 2013 के पदों का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किये जाने से निम्नानुसार नव चयनित आशार्थियों को वेतन श्रृंखला पी.बी.–2 (9300–34800) ग्रेड वेतन 3600 पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आंवटित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पद पर वेतन श्रृंखला पी.बी.–2 (9300–34800) ग्रेड वेतन 3600 में दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनाक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 12(6)एफडी(नियम)/05 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक–प.8(1) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी। इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्रांक प.17(4) शिक्षा–2/2009 दिनाक 29.3.16 के पार्ट –बी में वर्णित निर्देशों के अनुसार दिनाक 13.04.2016 का आयोजित परामर्श शिविर के आधार पर पदस्थापन कर सम्बन्धित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्माकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेगे।

1 इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेंगे।

2 सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल में ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे।

3 नियुक्ति पर कार्यग्रहण संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।

4 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

5 राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे। यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य नही पाई गई तो उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्व कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

6 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

7–यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्थाप्रधान से हस्ताक्षरित नही है, तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर संबंधित संस्थाप्रधान के हस्ताक्षरित/प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एवं उसकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरान्त ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे ।

8– जो अभ्यर्थी बीपीई (तीन वर्षीय पाठयक्रम) की प्रशैक्षिक योग्यता धारित करते है उनकी एनसीईटीई से मान्यता नहीं होने के कारण नियुक्ति पर कार्यग्रहण नही करवाते हुऐ इस कार्यालय को सूचित करेगें एवं उनका मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय को लौटा दिया जावें ।

9– कार्यग्रहण यकरवाने से पूर्व संबधित अभ्यार्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनाक 04.10.2013 के अनुंसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही कराने सम्बन्धी **{Undertakimg}** निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे ।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **26-04-2017** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थियों

लगातार पेज 2पर

की उक्त नियुक्ति सम्बद्व विज्ञप्ति अन्तर्गत विभिन्न याचिकाओ में माननीय न्यायालय निर्णय के अध्याधिन रहेगी ।

क्र.स.	मेरिट नं0	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथि	स्थाई पता	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	1299 A	GE LD	DILEEP SINGH RANAWAT	HARI SINGH RANAWAT	01-07-76	ग्राम पेा नारेला तह व जिला चितोडगढ	GEN M LD	रामावि कल्याणपुरा सुवाणा

(अनोप सिंह सिसोदिया)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–I, भीलवाडा

क्रमांकः–जिशिअभी / माप्र / संस्था–2 / फा–नियु / 17 / 3731 दिनांक 06-04-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01–प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
02–शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03–शासन उप सचिव, कार्मिक(क–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
04–सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
05–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / प्राशि, राजस्थान, बीकानेर /06– उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेमर मण्डल अजमेर
07–जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) द्वितीय) / प्रारंभिक शिक्षा भीलवाडा
08–संबंधित संस्था प्रधान रामावि कल्याणपुरा को आशार्थी के मूल आवेदन पत्र सहित भेजकर लेख है कि मूल आवेदन इनके सेवाभिलेख में लगावें ।
09'–संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–I, भीलवाडा